



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-27082026-275814
CG-RJ-E-27082026-275814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4582]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2026/भाद्र 4, 1948

No. 4582]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026/BHADRA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4767(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के पाली जिले की बाली तहसील में रेलवे की विशेष परियोजना “उत्तर पश्चिम रेलवे के खीमेल में बिजली आपूर्ति उन्नयन परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और परिचालन के लिए अपेक्षित है। ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी - बाली जिला - पाली राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में रेलवे की विशेष रेल परियोजना “उत्तर पश्चिम रेलवे के खीमेल में बिजली आपूर्ति उन्नयन परियोजना” हेतु पाली जिले के बाली उपखंड में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला – पाली

क्र सं	तहसील का नाम	ग्राम	खसरा संख्या	अधिग्रहण क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि का प्रकार
1.	बाली	खीमेल	1043	1042.00	निजी
2.			1042	43.00	निजी
3.			1043/1	500.00	निजी
4.			1044/1	125.00	निजी
5.			1044/2	83.00	निजी
6.			1044	27.00	निजी
	अधिग्रहण क्षेत्र (वर्गमीटर में)			1820.00	
	अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)			0.1820	

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 25th August, 2026

S.O. 4767(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act. The central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely “**Power Supply Upgradation Project at Khimel in North Western Railway**” for Sub Division Bali of District Pali in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Bali, District Pali, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief details of the land, with or without structures, to be acquired in the Bali sub-division of Pali district for the Special Project for “Power Supply Upgradation Project at Khimel in North Western Railway” in the state of Rajasthan.

District – Pali

S. No.	Name of Tehsil	Village	Khasra no.	Acquisition Area in Sqm.	Type of Land
1	Bali	Khimel	1043	1042.00	Private
2			1042	43.00	Private
3			1043/1	500.00	Private
4			1044/1	125.00	Private
5			1044/2	83.00	Private
6			1044	27.00	Private
	Total Acquisition Area in Sqm			1820.00	
	Total Acquisition Area in Ha.			0.1820	

[F. No. NWR/HQ/S&C 443599200 Vol. XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const)